उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या: 1325–गोपन–06/पाकालि/2019–3–सा0गो0/2017 दिनांक: 1/~~अप्रैल~~ मई/2019

(1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/ विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

(4) समस्त निदेशक (वितरण)/पारेषण/वित्त/तकनीकी/कारपोरेट प्लानिंग/वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स/ आपरेशन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

विषय:– प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 (दि:01.04.2018 से 31.03.2019) की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का ससमय प्रेषण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–137–गोपन–06/पाकालि/ 2019–3–सा0गो0/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

अवगत कराना है कि कारपोरेशन के पत्र संख्या–6127–गोपन–06/पाकालि/2018– 9–सा0गो0/1978 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा पूर्व में ही प्रतिवेदन वर्ष 2018–19(दि:01.04.2018 से 31.03.2019) हेतु अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों हेतु नये संशोधित स्वांकन प्रपत्र (ए0सी0आर0फौरमेट) में भरकर प्रस्तुत किये जाने के स्पष्ट दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके है । साथ ही यह भी अवगत कराना है कि समस्त डिस्काम/क्षेत्रीय इकाई द्वारा माँगे जाने पर नये संशोधित मुद्रित स्वांकन प्रपत्र भी उन्हें उपलब्ध भी कराये जा चुके हैं । इसके उपरान्त भी प्रायः यह देखा जा रहा है कि कतिपय डिस्काम एवं इकाईयों द्वारा पुराने स्वांकन प्रपत्र पर ही वार्षिक गोपनीय आख्यायें कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित की जा रही हैं ।

इस संबंध में अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं/स्वाकनों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन की प्रकिया के निर्धारण विषयक आदेश सं–824–काविनी/ राविप–29/96–08– काविनी/93, दिनांक 18.04.1996 के अनुपालन में विगत में वार्षिक गोपनीय आख्याओं कों पूर्ण कराये जाने हेतु कतिपय दिशा निर्देश उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 6 फरवरी, 2019 द्वारा पूर्व में भी निर्गत किये गये हैं। चूँकि प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 (01.04.18 से 31.03.19) समाप्त हो चुका है। अतएव, प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 हेतु समस्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के ससमय अंकन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में 15 जुलाई 2019 तक वार्षिक गोपनीय आख्याओं को नये संशोधित स्वांकन प्रपत्रों मे भरकर मन्तव्य अंकित करते हुये कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें : –

(1) प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल होगी एवं प्रतिवेदक अधिकारी 15 मई तक समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी 15 जून तक अन्तिम अधिकारी को तथा अन्तिम अधिकारी 15 जुलाई तक आख्या पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

(2) प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय होने की दशा में भी प्रतिवेदी बिना पावती प्राप्त किये अपना स्वांकन प्रतिवेदक अधिकारी को हस्तगत नही कराएगा। प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय न होने की दशा में प्रतिवेदी पंजीकृत डाक से अपना स्वांकन भेजेगा और उसकी पावती अनुसचिव/उप सचिव (गोपन) को स्वयं या माँगें जाने पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रतिवेदी द्वारा 30 अप्रैल तक स्वांकन न प्रस्तुत करने की दशा में प्रतिवेदक/सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस तथ्य को इंगित करते हुये उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रतिवेदी का मूल्यांकन करते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगें ।

(4) उन सभी मामलों में जिनमें प्रविष्टिकर्ता अधिकारी बिना औचित्य के "उत्कृष्ट" या "असंतोषजनक" श्रेणी अंकित करेंगें, कारपोरेशन स्तर पर "उत्कृष्ट" श्रेणी को "अति उत्तम" तथा "असंतोषजनक" श्रेणी को

... .. 2

"संतोषजनक" माना जायेगा और इस आशय का सत्यापन सम्बन्धित अवधि की गोपनीय आख्या में यथा स्थान कर दिया जायेगा ।

(5) वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्यांकन/अभिमत अंकित करने वाले समस्त प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा किसी भी दशा में मूल्यांकन अंकित करते समय काट/छॉट अथवा त्रुटि निवारण श्वेत द्रव्य इत्यादि का प्रयोग नही किया जायेगा ।

कृपया उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–1904–गोपन–06/पाकालि/18 दिनांक 23 जुलाई, 2018 में निहित व्यवस्था को भी संज्ञान में लेते हुये अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

अतः प्रत्येक दशा में अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें संशोधित नये प्रपत्र में ही उपलब्ध कराये जायें, अन्यथा की स्थिति में संगत आख्याओं को स्वीकार करना संभव न होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः1325 (1)–गोपन(06)/पाकालि/2019– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

(1) निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ ।
(2) निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ ।
(3) निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ ।
(4) निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ ।
(5) निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
(6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
(7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
(8) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, स्तर–2, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।
(9) महाप्रबन्धक(लेखाप्रशासन)/उपमहाप्रबन्धक(लेखा–प्रशासन)/समस्तमुख्य/उपमुख्य/लेखाधिकारीगण,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
(10) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
(11) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
(12) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर ।
(13) अधिशासी अभियन्ता(वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि संगत दिशा निर्देशों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

01.05.19

(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव(गोपन)